

यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक-16.1.19

मि.न.- 95 / 2018

सरकार बनाम रामचन्द्र
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डितपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 300/8.35है0 किस्म जमीन गै0मु0 नला सिवायचक मेंसे 0.05है0 पर तिरपाल झोंपडी, रूडी, बाडा बनाकर रामचन्द्र पुत्र फूलाराम जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार- बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर-सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैरसायल रामचन्द्र पुत्र फूलाराम जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 300रकबा 8.35है0किस्म जमीन गै0मु0 नाला मेंसे 0.05है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाई तिरपाल झोंपडी,रूडी, बाडा को हटाया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0 56रूका पचास गुणा 28 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.1.19को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार (भू0अ0)
कोटपूतली (जयपुर)

बय
दिनांक 2019-01-19 को
हफ्ता संख्या 06 पर 03
28 नपर्य कायम किये गये ।

419
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली